कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री हरि कृष्णानी, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिंवरी, जोधपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुर्जगढ, जिला जैसलमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री हरि कृष्णानी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 14768/2019 हरि कृष्णानी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 14768/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्री हरि कृष्णानी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण व अन्य प्रकरण में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। याचिकार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन माननीय न्यायालय द्वारा याचिकार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पिता के लकवाग्रस्त होने, स्थानान्तरित स्थान के करीब 200 किमी दूर होने तथा सेवानिवृति में केवल 13 माह का समय शेष होने को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि तिंवरी, जोधपुर में यथावत अथवा राउमावि चोरडिया या राउमावि बुरकिया, देंचू जिला जोधपुर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 1430/2019 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.1999 एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। **याचिकार्थी द्वारा स्वयं का दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण किये जाने का अभिकथन किया गया है जिसके सम्बन्ध में ध्यातव्य है कि वह राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य एवं छात्र हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे।**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी भगवान दास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 में अवधारित किया गया है कि "So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he\she is posted. The plea of posing at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule." याचिकार्थी की सेवानिवृति में 13 माह शेष होने के कारण उनके द्वारा पेंशन परिलाभों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का होना अपेक्षित नहीं है। अतः गृह जिले में ही पदस्थापित रखे जाने की याचिकार्थी की मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। **श्री हरि कृष्णानी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/हरि कृष्णानी/14768/2019 दिनांक 02-12-19

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, सरकार, जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।

4.मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री हरि कृष्णानी, प्रधानाचार्य के स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सी.सी.ए.–17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच–प्रथम अनुभाग को तीन दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर/जैसलमेर।

6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, तिंवरी जिला जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।

7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।

8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।

9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।

10. प्रधानाचार्य, राउमावि तिंवरी जिला जोधपुर।

11. श्री हरि कृष्णानी, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।

12.निजी/रक्षित पत्रावली।

हस्ता.

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner